फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रामराय वगै0 बनाम राधेश्याम वगै0

मुकदमा नं0 :–129/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14.05.24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब न देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया। जवाब वकील अप्रार्थीगण का बन्द किया जाता है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट प्रार्थीगण के नाम आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 0.02है0, किस्म गै0मु0चाह एवं खसरा नम्बर 165 रकबा 3.11है0, किस्म बारानी3 ग्राम फुटोलाव में जमाबन्दी संवत् 2074–2077 (वर्ष 2022) से स्थायी में चेतनलाल पुत्र प्रभूदयाल हिस्सा 1/9, नाथूलाल पुत्र भगवान हि01/6, रामबाबूल पुत्र प्रभूदयाल हि0 1/6, रामराय पुत्र प्रभूदयाल हि0 1/9, लक्ष्मण पुत्र छीतर हि0 1/3, सुरेश पुत्र भगवान हि0 1/6 कौम रैगर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बरान का पूर्व में सीमाज्ञान करवा चुका है। मौके पर प्रार्थी के पास पूर्ण कब्जा नही है। आंशिक भाग पर पक्का निर्माण भी अन्य खातेदार द्वारा किया हुआ है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। अतः मुताबिक रिपोर्ट के उक्त खसरा नम्बरान में मौके पर कब्जे से विवाद है। ऐसी स्थिति में पत्थरगढी नही की जा सकती है। प्रकरण पत्थरगढी का न होकर कब्जे का बनता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण कब्जे से संबंधित हेतु सक्षम धाराओं में अनुतोष प्राप्त करें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	